

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 543]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 10 दिसम्बर 2013—अग्रहायण 19, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2013

क्र. एफ 24-14-2013-एक-10.—राज्य शासन, एतद्द्वारा जाँच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का क्रमांक 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, न्यायमूर्ति श्री राकेश सक्सेना के एकल सदस्यीय जांच आयोग के गठन के संबंध में मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 15 अक्टूबर, 2013 में प्रकाशित विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15 अक्टूबर, 2013 में निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की कंडिका-3 में, शब्द “दो मास” के स्थान पर, शब्द “चार मास” स्थापित किये जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2013

क्र. एफ 24-14-2013-एक-10.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10 दिसम्बर 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 10th December 2013

No. F. 24-14-2013-One-10.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commission of Enquiry Act, 1952 (No. 60 of 1952) the State Government hereby makes the following Amendment in this Department's Notification Even No. Dated 15th October 2013, regarding appointment of Justice Shri Rakesh Saxena the One Man Commission of Enquiry namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in para 3, for the words “two months” the words “Four Months” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. R. VISHWAKARMA, Dy. Secy.